भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4977

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुना करने संबंधी स्थिति

4977. **श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां एग्री-टेक स्टार्टअप्स विशेषकर स्मार्ट कृषि, संवहनीय कृषि पद्धतियों और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के संबंध में नवोन्मेषी समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ग) यह भागीदारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ किस प्रकार संरेखित होगी और विजन 2047 के लिए कितना योगदान अपेक्षित है; और

(घ) इन भागीदारियों के अंतर्गत पहलों के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और संभावित उपलब्धि क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने और भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)

5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. एग्री फंड फोर स्टार्ट-अप्स एंड रूरल एंटरप्राइजिस (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. इंटीग्रेटिड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने **75,000 किसानों की सफलता की कहानियों** का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अभिसरण द्वारा अपनी आय में दो गुना से अधिक की वृद्धि की है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया।

इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर) में 6,426 रूपए से बढ़कर 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में 10,218 रूपए हो गई है।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधि में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां राउंड)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अंतर	83.9	69.7

(ख) से (घ): भारत सरकार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ़्तार) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत, स्टार्ट-अप को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में कई स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया है, जिन्हें 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उद्यमियों/स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने तथा अपने उत्पादों और परिचालनों को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के लिए आइडिया/प्री सीड स्टेज में 5.00 लाख रुपये तक और सीड स्टेज में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) वर्ष 2016-2017 में शुरू की गई नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन फंड (एनएआईएफ) नामक परियोजना के तहत कृषि आधारित स्टार्टअप का समर्थन कर रही है। इसके दो घटक हैं: (I) नवाचार निधि (फंड); (II) इनक्यूबेशन फंड और राष्ट्रीय समन्वय इकाई (एनसीयू):

I. घटक I: 99 आईसीएआर संस्थानों में स्थापित 10 क्षेत्रीय (जोनल) प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयाँ और 89 संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयाँ (आईटीएमयू) इन संस्थानों में नवाचारों का प्रबंधन करने, बौद्धिक संपदा का प्रदर्शन करने और बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रबंधन और प्रौद्योगिकियों के अंतरण/व्यावसायीकरण से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए एकल-खिड़की तंत्र प्रदान करती हैं।

II. घटक II: हितधारकों को नई प्रौद्योगिकियों के वितरण में तेजी लाने के लिए एग्री-बिजनेस इनक्यूबेटर केंद्र (एबीआईसी) स्थापित किए गए हैं। एबीआईसी मान्य प्रौद्योगिकियों के इनक्यूबेशन/व्यावसायीकरण के लिए कृषि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संस्थानों के लिए वांछित लिंक प्रदान करने के लिए नोडल बिंदु हैं। अब तक, एनएआईएफ योजना के तहत आईसीएआर नेटवर्क में 50 एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं और प्रचालनात्मक हैं।

कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजी सहायता हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, एग्रीश्योर के लिए प्रशासनिक अनुमोदन नाबार्ड को भेज दिया गया है ताकि फंड को कार्यान्वित किया जा सके।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मैप और अन्य आईटी पहलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। एग्रीस्टैक परियोजना इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसमें कृषि क्षेत्र में तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस यानी किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गाँव के नक्शे और फसल बोई गई रजिस्ट्री शामिल हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य उभरती हुई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देते हुए प्रयासों की अंतर-संचालन क्षमता और अभिसरण को बढ़ाना है।

इसके अलावा, सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्देश्य (उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर सेवाएं प्रदान करने हेतु 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है।

सरकार की उपरोक्त पहल/कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में मदद करेंगे और विजन 2047 में भी योगदान देंगे।

*****